राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	670/2012	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
2.	669/2012	1(a)	मैहर	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
3.	P2/1434/2025	1(a)	रीवा	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/2143/2025	1(a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/1487/2025	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1038/2025	1(c)	हरदा	River Vally/ Irrigation Project	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1037/2025	1(c)	बड़वानी	River Vally/ Irrigation Project	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
8.	P2/2141/2025	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/2144/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/2145/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
11.	9764/2023	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12.	P2/2146/2025	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
13.	P2/2152/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1768/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1791/2025	1(a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/2085/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/2084/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/2155/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/2154/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/2153/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	P2/2040/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	79/2008	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के परिपालन बावत्।	अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/523807/2025, Case No. 670/2012 Prior Environmental Clearance for Barahia Limestone Mine (Opencast fully mechanized method) in an area of 7.102 ha. for production capacity 30,000 TPA, at Village Barahia, Teh- Maihar, Dist-Stana (MP) by Shri. Pawan Kumar Ahluwalia, M.D., M/s K.J. S. Cement Ltd., Near Railway Crossing N.H.-7 Maihar, Distt. – Satna (M.P.) – 485771 regarding transfer of EC in the name of M/s KJS Cement (I) Ltd, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar (MP) 48577**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय–सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है एवं खदान के बैरियर जोन में वृक्षारोपण परिलक्षित नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यो से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बिन्दु की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. Proposal No. SIA/MP/MIN/524166/2025, Case No. 669/2012 Prior Environmental Clearance for Limestone mine in an area of 45.888 ha for production capacity of 5.0 lac TPA, at Village Bhatiya, Tehsil Maihar, Distt. Satna (MP) by Shri. Pawan Kumar Ahluwalia, M.D., M/s K.J. S. Cement Ltd., Near Railway Crossing N.H.-7 Maihar, Distt. – Satna (M.P.) – 485771 regarding transfer of EC in the name of M/s KJS Cement (I) Ltd, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar (MP) 48577

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं समय–सीमा के अनुसार पूर्ण नहीं पाया गया है एवं खदान के बैरियर जोन में वृक्षारोपण परिलक्षित नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के तथा वृक्षारोपण, सीईआर, फेंसिंग के अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफ व सीईआर के कार्यों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक उपरेाक्त बिन्दु की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

3. **Proposal No. SIA/MP/MIN/553360/2025, Case No. P2/1434/2025 Prior Environment Clearance for Laterite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.061 ha. (As per SEAC recommendation mineable area is 3.561 ha.), for Production Capacity of Laterite-94500 Tons per Annum & Ochre-1000 Tons per Annum, at Khasra No. 3/1, 4/1KA, Village- Bhamra Tehsil- Mangawan District Rewa (M.P.) by Shri Anil Pandey, R/o- Gram post badiharri, Tehsil- Semariya, District- Rewa (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 857वी बैठक दिनांक 05.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 03.08.2019 के माध्यम से दिनांक 02.08.2049 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2049 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. **Proposal No. SIA/MP/MIN/551027/2025, Case No. P2/2143/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha. for Production Capacity of Stone (gitti) 20000 m3 /year & M-sand 50000 m3 /year, at khasra No. Khasra No. 636, Village - Dabardehi, Tehsil- Karera, District- Shivpuri (M.P.) by Shri Rahul Sharma S/o Shri Ramsahay Sharma, R/o Anand Nagar, Bahodapur, Gwalior (M.P)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **857वी बैठक दिनांक 05.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्रीमती धन्नू बाई रकबा 1.20 हेक्टेयर एवं श्री विनीत शर्मा रकबा 2.0 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 7.20 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में SEAC द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति प्राप्त कर परीक्षण उपरांत प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/MIN/563761/2026, Case No. P2/1487/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 7.0 Ha. for Production Capacity of Gitti 80,000 Cum/Year & M-Sand-80,000 Cum/Year, at Khasra No – 595, Village Village-Janoli Buzurg, Tehsil-Tonk Khurd, District-Dewas (M.P.) by Shri Parv Jain, Partner, RKJ Mining, R/O- Mig-103, Block No-B, Bhumika Pariser, Chuna Bhatti Kolar Road, District-Bhopal (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 482–87 दिनांक 10.01. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **लीज क्षेत्र के पास स्थित जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

6. Proposal No. SIA/MP/RIV/553717/2025; Case No. – P2/1038/2025 Prior Environment Clearance for Shaheed Ilap Singh Lift Micro Irrigation Project is to provide irrigation facilities to the water scarce areas in upper reaches of Handiya, Harda, Khirkiya and Timarni tehsil of Harda distt., to cater irrigation water to about 26,890 Ha., Gross command area (GCA)- 56069 Ha., Culturable command area (CCA)- 26,890 Ha., Irrigable command area (ICA)- 26,890 Ha., by Shri Dhanraj Akare, Project Administrator, Piu, Morand Ganjal And Hoshangabad Barrage Implementation Unit, NVDA, Seoni Malwa, Hoshangabad – (M.P.) 461223.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण शहीद इलाप सिंह लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना अंतर्गत हरदा जिले की हंडिया, हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी तहसीलों के ऊपरी एवं जल–अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 26,890 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र हेतु श्री धनराज आकरे, परियोजना प्रशासक, पीआईयू, मोरंद गंजल एवं होशंगाबाद बैराज कार्यान्वयन इकाई, एनवीडीए, सिवनी मालवा, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) 461223 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना अंतर्गत 26,890 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र को सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है यह परियोजना **Major Irrigation System (≥ 10,000 ha)** के अंतर्गत आती है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार परियोजना को श्रेणी–1(C) के अंतर्गत नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 63 से 76 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project Name	Shri Dhanraj Akare, Project Administrator, Piu, Morand Ganjal And Hoshangabad Barrage Implementation Unit, Nvda, Seoni Malwa, Hoshangabad – (M.P.) 461223. Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects. FoR- EIA Case.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**ToR Status.**	➢ SIA/MP/RIV/520254/2025. ➢ TOR Identification No.: TO25B0502MP5842509N. ➢ File No.- P2/1038/2025. ➢ ToR Recommended in 775th SEAC Meeting dated 21/02/2025. ➢ Online Tor Issued Dated 11/04/2025.
3.	**Total Cost of the Project**	72000 Lakhs.
4.	**Description of Project**	The main objective of SHAHEED ILAP SINGH LIFT MICRO Irrigation Project is to provide irrigation facilities to the water-scarce areas in upper reaches of Handiya, Harda, Khirkiya and Timarni tehsil of Harda distt., The SHAHEED ILAV SINGH MICRO Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 26,890 Ha.,
5.	**CCA details**	26,890 Ha.
6.	**Type of Irrigation**	Micro Lift Irrigation Project,
7.	**SPCB Comments/CTE details.**	PCB ID: 171726, Consent No: CTE-63031, Outward No: 123758, 17/09/2025, Consent to Establish up to 31/08/2030. Lift (Irrigation Project- 26,890 Hectare).
8.	**Supply Source**	I.S.P. Reservoir & Narmada River, D/S of Handiya Barrage.
9.	**Land Acquisition Under PESA Act, 1996 details.**	Undertaking Regarding Land Acquisition Under PESA Act, 1996 letter uploaded Dated: 22/09/2025 (Copy uploaded on Parivesh Portal).
10.	**Undertaking for No Blasting Activity.**	Undertaking for No Blasting Activity letter uploaded Dated: 22/09/2025 (Copy uploaded on Parivesh Portal).
11.	**Lat. &Long. details.**	76°50'19 "E / 76°58'34.2 "E 22°19'55"N / 22°29'16.0"N
12.	**PWD distance letter**	PP Apply Letter No. 144 dated 28/01/2025- Inter State Boundary distance - 80-85 km (State- Maharastra).
13.	**EMP/ Env. Con**	M/s. MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune (Maharastra) Valid up to 02/05/2027.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08-01-2026 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 936वीं बैठक दिनांक 09.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से vii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

A. Specific Conditions as recommended by SEIAA

i. **परियोजना क्षेत्र की स्थलीय एवं जलीय जैवविविधता से संबंधित अधिकृत अध्ययन रिपोर्ट एक माह की अवधि में प्रस्तुत की जाए। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही परियोजना कार्य प्रारंभ किया जाए।**

ii. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

v. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

vi. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना E-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vii. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) **सदस्य**	(शिव नारायण सिंह चौहान) **अध्यक्ष**

7. **Proposal No. SIA/MP/RIV/558517/2025; Case No. – P2/1037/2025 Prior Environment Clearance for Sendhwa Micro Lift Irrigation Scheme Project Sendhwa MLIS will cater water scarce area through lift irrigation in Barwani Region 44,189 Ha. CAA, (Benefits Villages Sendhwa: 67 Rajpur: 24 Niwali: 6 Barwani: 1) in Barwani district (M.P.) by Shri Hitendra Pal Singh, EXECUTIVE ENGINEER, NARMADA DEVELOPMENT DIVISION NO 14, THIKRI, BARWANI- 451551.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण परियोजना **Sendhwa Micro Lift Irrigation Scheme Project (Sendhwa MLIS)** परियोजना अंतर्गत बड़वानी जिले के **(Sendhwa: 67 Rajpur: 24 Niwali: 6 Barwani: 1** ग्रामों) के जल–अभावग्रस्त क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव श्री हितेंद्र पाल सिंह, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास प्रभाग क्रमांक–14, ठीकरी, बड़वानी 451551 (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना के अंतर्गत 44,189 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना **Major Irrigation System (≥ 10,000 ha)** के अंतर्गत आती है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार परियोजना को श्रेणी–1(C) के अंतर्गत नदी घाटी/सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 88 से 102 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project Name	Shri Hitendra Pal Singh, Executive Engineer, Narmada Development Division No 14, Thikri, Barwani- 451551. Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, EIA Case.
2.	River details	River Narmada.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	ToR details.	➢ TOR Proposal No. :SIA/MP/RIV/521363/2025 ➢ ToR Recommended in 775th SEAC Meeting dated 21/02/2025. ➢ TOR Identification No.: TO25B0502MP5825313N. ➢ File No. P2/1037/2025.
4.	SPCB Comments/CTE/ CTO details.	PCB ID: 171758, Outward No:123763,17/09/2025, Consent No:CTE-63043, Consent to Establish up to 31/08/2030.
5.	PESA NOC details	PP Submit undertaking regarding land acquisition under PESA ACT, 1996(upladed on Parivesh Portal 2.0).
6.	Total Cost of the Project	140274 Lakhs.
7.	Description of Project	Sendhwa MLIS will cater water scarce area through lift irrigation in Barwani Region 44,189 HA. CCA.
8.	CCA details	44,189 Ha.
9.	Type of Irrigation	Micro Lift Irrigation Project,
10.	Forest Clearance details	Yes.
11.	Lat. &Long. details.	740 59'42" / 220 05'08"
12.	DFO NOC	Issued vide Letter No. 305 dated 20/02/2025. ➢ Ralamandal Sanctuary, Indore – 114 km. ➢ Yaval Sanctuary (Maharastra) - 107 km. ➢ Toranmal Sanctuary (Maharastra) - 59 km
13.	PWD distance letter	Issued vide Letter No. 1070 dated 07/04/2025. ➢ Inter State Boundary distance - 20 km & 60 (Maharastra State).
14.	EMP/ Env. Con	M/s. MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune (Maharastra) Valid up to 02/05/2027.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 958वी बैठक दिनांक 08-01-2026 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 936वीं बैठक दिनांक 09.02.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से vii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

A. <u>Specific Conditions as recommended by SEIAA</u>

i. परियोजना क्षेत्र की स्थलीय एवं जलीय जैवविविधता से संबंधित अधिकृत अध्ययन रिपोर्ट एक माह की अवधि में प्रस्तुत की जाए। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही परियोजना कार्य प्रारंभ किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

ii. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा **eco sensitive area forest area** से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

v. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

vi. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना E-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vii. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Proposal No. SIA/MP/MIN/539671/2025, P2/2141/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for Produciton Capacity of Stone- 5108 cum per annum & M-Sand-5000 cum per annum, at Khasra No. 42/2, Village - Chhadahna, Tehsil- Jawa, District- Rewa (M.P.) by Shri shakti Singh Baghel, Lessee, R/o-Village- Dodi. PostTagha, Tehsil-Java, District-Rewa, M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 11006–08 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/536776/2025, P2/2144/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha., for Production Capacity of Gitti 5000 Cu.mt/ Year & M-Sand 5,000 Cu.mt/Year, at Khasra No. 145, Village Runija, Tehsil Badnagar, District Ujjain (M.P) by Shri Chhogalal Solanki, R/o- Maswadiyadhar, Tehsil Badnagar, District-Ujjain (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में गिट्टी पत्थर की 01 खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होने का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री महेन्द्र सिंह रकबा 2.00 हेक्टेयर एवं श्री महेन्द्र सिंह रकबा 2.0 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में SEAC द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति प्राप्त कर परीक्षण उपरांत प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/545987/2025, P2/2145/2025 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.100 ha. for Production Capacity of Stone- 30,340 M3/year & M-Sand 20,227 M3/year, at Khasra No. – 31, 32, 33, Village- Chandbad Kadim, Tehsil – Berasia ,Distt. – Bhopal (M.P.) by Shri Nachiket Sing Bais, Ug-01 G -Star ,Hoshangabad Road, Ashima Mall Near ,Sagar Royal Villas, Tehsil Huzur District Bhopal (M.P.)-462026

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर भू–स्वामी की सहमति अपलोड नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार पर्यावरण सलाहकार का शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष**

11. Proposal No.SIA/MP/MIN/552907/2025, 9764/2023 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 6.60 ha. for Production Capacity of Dolomite- 20,000 to 70,050 Metric Ton /Year & Over Burden- 8,162 Metric Ton Per Year, at Khasra No. 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121 & 20/5, Village- Bhawartal Tehsil- Bichhiya District Mandla (M.P.) by Smt. Aruna Sihare W/o Shri Narendra Sihare R/o Near Sale Tax Office, Civil Line District Mandla (MP) regarding transfer of EC in the name of Shri Narendra Sihare, Proprietor, Prop: Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

.... The application for EC transfer in the name of Shri Narendra Sihare is made well within 24 months and do not attract CCR from MoEF&CC, hence committee finds it fit to recommend for transfer of EC and forward SEIAA for necessary orders.

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा—11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 858वी बैठक दिनांक 08.01.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Aruna Sihare W/o Shri Narendra Sihare R/o Near Sale Tax Office, Civil Line District Mandla (MP)** के नाम **Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 6.60 ha. for Production Capacity of Dolomite- 20,000 to 70,050 Metric Ton /Year & Over Burden- 8,162 Metric Ton Per Year,** at Khasra No. 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121 & 20/5, Village- Bhawartal Tehsil- Bichhiya District Mandla (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Narendra Sihare, Proprietor, Prop: Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :—

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. Identification No. - EC24B001MP110287 दिनांक 22. 05.2024 एवं संशोधन पत्र क्र. 1557 / SEIAA / 24 दिनांक 24.06.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता प्राधिकरण के संशोधन पत्र क्र. 1557 / SEIAA / 24 दिनांक 24.06.2024 के अनुसार दिनांक 20.05.2024 से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तो का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

12. Proposal No.SIA/MP/MIN/558073/2025, P2/2146/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.0 ha. for Production Capacity of Stone 5,700 Cum/Year, at Khasra No. – 486/1/1/1/1, Village-Ringrod, Tehsil-Jaora, District- Ratlam (M.P.) by M/s S.S. Industries, Shri Sanjeev Kumar Jain, Proprietor, R/o41, arithant colony, pahadiya road, District- Ratman (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **858वी बैठक दिनांक 08.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में गिट्टी पत्थर की 02 खदान रकबा 3.5 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होने का उल्लेख किया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान श्री संजीव जैन रकबा 2.0 हेक्टेयर, रघुवीर सिंह रानावत रकबा 1.5 हेक्टेयर एवं श्रीमती आरती रारौटिया रकबा 2.0 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.50 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर रतलाम प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/558715/2025; Case No. P2/2152/2025 Prior Environment Clearance for M/s Krivish Hospitality Private Limited is proposing a project of total plot area of 97,460 sq.m, out of which permission for hotel development has been granted for 71,040 sq.m. at Khasra No. – 10,11/1, 15/1/1, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 28/3, 28/6/2, 8/1 ,9 Gram Jakhiya, Tehsil- Malharganj, District Indore (M.P.) . Built-up Area- 97,342.07 sqmtr by Shri Sanjay Shukla, Director M/S Krivish Hospitality Private Limited, G-110-116,Yashwant Plaza, Opposite Railway Station, Tukoganj,Indore,(M.P.) - 452001.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त प्रकरण M/s Krivish Hospitality Private Limited द्वारा प्रस्तुत होटल विकास परियोजना खसरा संख्या 10, 11/1, 15/1/1, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 28/3, 28/6/2, 8/1 एवं 9 ग्राम जाखिया, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 97,460 वर्ग मीटर है इसमें से 71,040 वर्ग मीटर क्षेत्र में होटल विकास हेतु अनुमति एवं कुल निर्मित क्षेत्र 97,342.07 वर्ग मीटर है। यह प्रस्ताव श्री संजय शुक्ला, निदेशक, M/s Krivish Hospitality Private Limited G-110-116, Yashwant Plaza, Opposite Railway Station, Tukoganj, Indore, (M.P.) द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 97,460 वर्गमीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 97,342 वर्गमीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 60 से 77 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Information Required	Details
1.	Project Proposal For	Hotel Project By Krivish Hospitality Private Limited
2.	Project Cost.	46536 Lakhs.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	**Description of Project**	M/s Krivish Hospitality Private Limited is proposing a project of total plot area of 97,460 sq.m, out of which permission for hotel development has been granted for 71,040 sq.m. at Khasra No. – 10,11/1, 15/1/1, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 28/3, 28/6/2, 8/1 ,9 Gram Jakhiya, Tehsil-Malharganj, District Indore (M.P.) to develop and construct a commercial project at the proposed site. The site boasts an ideal location, with Indore strategically situated along State Highway 27 (SH-27).
4.	**SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.**	➢ PCB ID: 172098, Consent No:CTE-63366, Outward No:124137,17/11/2025, Consent to Establish up to 31/10/2030.
5.	**Building Permission.**	➢ Gram Panchayat Magarkheda issued vide letter no. 56=2025 dated 21/06/2025.
6.	**Declaration No Construction start at site**	• No Construction start at project site Affidavit Submitted letter dated 05.11.2025.
7.	**Location Lat./Log.**	22°48'38.80"N and 75°51'6.78"E.
8.	**Maximum Height**	30 meter.
9.	**Water Requirement & Sources**	Total Water Requirement: 422 KLD Fresh Water Requirement: 167 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 255 KLD
10.	**Sewage Treatment & Disposal .**	STP Capacity: 340 KLD Sewage Discharge: 255 KLD of water will Hotel Project by Krivish Hospitality Pvt. Ltd. CONCEPTUAL PLAN 4 be obtained after the recycling of wastewater out of which 140 KLD shall be utilized for the purpose of flushing, 35 KLD in green area and 80 KLD in HVAC.
11.	**Water Supply NoC**	➢ CGWA NOC (Exemption Certificate) issued dated 28/11/2025.
12.	**MSW NoC**	➢ Gram Panchayat Magarkheda issued vide letter no. Q 56 dated 03/01/2025.
13.	**Extra Treated water NoC**	➢ Gram Panchayat Magarkheda issued vide letter no. Q 56 dated 03/01/2025.
14.	**T&CP Approval**	D.N. INDLP INDLP05102431904 dated 31/01/2025.
15.	**Article of Association details**	e-MOA (e-Memorandum of Association) [Pursuant to Schedule I (see Sections 4 and 5) to the Companies Act, 2013).

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16.	**Number of vehicle to be parked**	1110 ECS.
17.	**DG set capacity**	2 DG sets of total capacity 1600 KVA (2×800 KVA)
18.	**Rain water Harvesting Pits.**	8 No.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति **(SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की, अनुशंसा एवं** अधिरोपित शर्तों को राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 936वीं बैठक दिनांक 09.02.2026 में** मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श **उपरांत सर्व सम्मति से** विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न बिंदु **i से viii को शर्तों में शामिल** करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं **यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की** जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No.SIA/MP/MIN/533744/2025, Case No. P2/1768/2025 Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area or 1.00 Ha. for Production capacity of 5,000 Cubic Meter Per Year, at Khasra No. - 146/35, Village Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) by Shri Devraj Singh Sondhiya, Villagechandarpura, Tehsil Biaora, District Rajgarh(M.P.)- 465674

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 822वी बैठक दिनांक 26.08.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 822वी बैठक दिनांक 26.08.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ द्वारा आदेश क्र. 25 दिनांक 10.01. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No.SIA/MP/MIN/535037/2025, Case No. P2/1791/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha. for Production Capacity of Gitti 8000 cum/year & M-sand 5000 cum/year, at Khasra No. 307, Village Semali, Tehsil: Susnr, Dist. Agar Malwa (M.P.) by Shri Chetan Singh, Leessee, House No. 48, Semli, Susner, Agar Malwa (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 824वी बैठक दिनांक 02.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 824वी बैठक दिनांक 02.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 9953–56 दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/539766/2025, Case No. P2/2085/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 Ha. for Production Capacity of Gitti 30,068 Cum/Year & M-Sand- 10,022 Cum/Year, at khasra No. 803/2/1, Village - Nagar Rajgarh Khas, Tehsil – Rajgarh, District-Rajgarh (M.P.) by Smt. Uma Gandhi W/O Shri Narendra Vijayvargiya, W/o Narendra Kumar Vijay 5/1 Mankamneshwar road Rajgarh, Rajgarh (M.P.) – 465661

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ द्वारा आदेश क्र. 1405 दिनांक 23.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/541592/2025, Case No, P2/2084/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.550 ha., for Production Capacity of Gitti 2500 cu.mt/year & M-Sand 2500 cu.mt/year, at khasra No 877/11,878, Vill.- Sajod, Tehsil- Shajapur, District-Shajapur (M.P.) by Shri Rahul Rathore, Lessee, R/o H.No. 14, Ward No. 07, Village Akya Tehsil& District-Shajapur (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर द्वारा आदेश क्र. 728 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/548640/2025Case No. 2155/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.100 ha. for Production Capacity of Gitti - 40000 Cu.mt./Year and M-Sand 30000 Cu.mt./Year, at Khasra No. 110/1 (S) & 104/1 (S), Village - Laikhedi Tehsil - Jhiranya, District – Khargone (M.P.) by Smt. Ruchika Mohta, Lessee, Ideal Exotica, Block C, Flat 7A, 8A, 21 Pramatha Chowdhury Sarani, New Alipore, Kolkata, West Bengal- 700053

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान दो भागों में परिलक्षित है जिसमें खसरा नम्बर 110/1 पर स्वीकृत खदान ही 2.90 हेक्टेयर की है तो खसरा नम्बर 104/1 का रकबा 0.20 हेक्टेयर है। खनिज विभाग के नियमानुसार यदि कोई खदान का रकबा 1.0 हेक्टेयर से कम है तो 1.0 हेक्टेयर पूरा करने हेतु दो पार्ट में लीज की स्वीकृत प्रदान की जाती है जबकि यह खदान रकबा तो 3.10 हेक्टेयर में तो फिर खदान को 02 पार्ट में क्यों स्वीकृत किया गया है के संबंध में SEAC द्वारा खनिज विभाग से अभिमत प्राप्त कर प्रकरण परीक्षण उपरांत प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

19. Proposal No.SIA/MP/MIN/558638/2025 Case No. P2/2154/2025 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for Production Capacity of Murrum 8,000 cum /annum, Stone (Gitti) 16,000 cum / annum. & M-Sand 24,000 cum / annum, at Khasra No. 23/1/1, 24/2, 24/4, 24/5,24/6, Village – Kadodiya , Tehsil –Tarana, District - Ujjain (M.P.) by Shri Adiyta Raj Jain, Partner, Shri Laxmivyanktesh Stone Crusher LLP, R/o -167/2,Sethi Nagar, 5th Street Durga Mata Mandir kepiche, Ujjain, District Ujjain (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन द्वारा आदेश क्र. 3042 दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.10.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/560210/2025 Case No. – P2/2153/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.00 Hectare, for Production Capacity of 2,800 Cubic Meter/year at Khasra No. - 89/1, 90, 91, Village – Palasi, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh (M.P.) by Smt. Shashikala Dhakar W/o Shri Bhawarlal Dhakar, Village - Palashi, Tehsil - Narsinghgarh, District - Rajgarh (M.P.) – 465669

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **859वी बैठक दिनांक 10.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र से लगी हुई पक्की सड़क परिलक्षित है जिसमें माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के परिपालन में ब्लास्टिंग एवं नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित दूरी के दृष्टिगत पक्की सड़क से नॉन ब्लास्टिंग हेतु निर्धारित दूरी 100 मीटर तक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसके बावजूद भी SEAC द्वारा प्रकरण में किस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

21. Proposal No.SIA/MP/MIN/564772/2026 Case No.- P2/2040/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 20.00 ha., for Production Capacity of 14,95,284 M3/Year (Stone (Gitti), -10,46,699 Cum per annu& M-Sand-4,48,585 Cum per annum), at Khasra No. 1361/1, Village-Barduwaha Tehsil- Rajnagar District Chhatarpur (M.P.) by M/s NCC Limited, Shri Sainath Pai M, Vice President, R/o - C-66 Vidhya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **863वी बैठक दिनांक 23.01.2026** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 863वी बैठक दिनांक 23.01.2026 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 9058–67 दिनांक 16.09. 2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

22. **प्रकरण क्र. 79/2008 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लि. कैमोर सीमेंट वर्क्स, पो. आ. कैमोर, जिला कटनी (म.प्र) द्वारा बदरी लाईम स्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 81, 86, रकबा 5.82 हेक्टेयर, ग्राम बडारी, विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।**

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"...... विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) के आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड प्रकरण क्रमांक 79/2008 में वर्ष 2009 से 2018 तक बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के किये गये उत्खनन कार्यों से हुई पर्यावरण क्षति एवं पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण दिनांक 23.02.2018 के उपरांत प्रस्तुत छमाही अनुपालन प्रतिवेदनों के आधार पर किये गये कार्यों का स्थल निरीक्षण करवाये जाने एव यदि पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तो का उल्लघंन किया गया है तो पर्यावरणीय क्षति का आकलन किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को पत्र क्रं 1758 दिनांक 29.09.2022 प्रेषित किया गया।

उक्त आदेश के परिपालन *में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नानुसार सदस्य नामांकित किये गये :–*

1. *वैज्ञानिक–डी, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल।*
2. *वैज्ञानिक–ख, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल।*
3. *अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।*

उक्त संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण में खनन क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर पर्यावरणीय क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन प्राधिकरण को दिनांक 26.09.2024 को ई–मेल के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार की गई कार्यवाही एवं अनुशंसा निम्नानुसार है :–

*2. **OBSERVATION OF COMMITTEE***

It is evident from the documents furnished by the PP that communication with EC granting authority MP SEIAA regarding 2018 has not made any transfer of the EC till

The committee found that there is negligence at the end of PP about the EC transfer from concerned competent authority ie. SEIAA

As per the document available (IBM letter dated 22.09.2014, after mining plan approval), it is noted that the project proponent has started the mining activity at Badari Mine from 31.12.2014.

A punchnama prepared during the visit is enclosed as Anneure-9

It is observed that the 5.82 hectare mine is situated in between other mines (Approx 1561.874 ha) of ACC Kymore. The mining operation is being carried out for complete area considering as a whole with adjoining mines. The mining protocol for 5.82 ha mine (Le. Badari Mines) is similar to 1561.874 ha of other mines

The PP did not amalgated the smaller mines to the adjoining mines. The actual mining is being carried out in the Badari mines i.e. 5.82 ha and adjoining mines (Approx 1561.874 ha) also

It is also noted that the six monthly compliance reports submitted by the PP do not have complete information and reply/status for some conditions of EC.

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. Calculation of Environment compensation for the period 2009 to 2018:-

(a) As per the documents furnished it is noted that the project proponent had started the mining activity since 31.12.2014 in Badan Limestone Mine Therefore the committee decided to exclude the period from 2009 to 2014 for calculation of EC.

(b) The committee noted that M/s ACC Limited had done the mining activity in Badan Mine from the period of 31.12.2014 to 23.02.2018 without transferring the Environmental Clearance from M/s S.N Sunderson and Co to M/s ACC Limited

(c) The Project Proponent has provided the production details. The total production during 4 FYs was 65611.41 Tone during 15-2014,16-2015 , 17-2016 & 18-2017 The details are enclosed at Annexure-6

The Environmental compensation is based on the EC policy framed by the CPCB in compliance of order 31.08.2018 in O.A 593/2017

The Environmental Compensation is based on the following formula:

ECPI x Nx RSLF Where

EC is Environmental Compensation in

Pt Pollution Index of industrial sector

N = of days of violation took place

R - A factor in Rupees (₹) for EC

S = 1 Factor for scale of operation

LF = Location factor

The following values are considered for the Badari mine Pi = 80 for red category = (50000 MTA/300) (Consented Capacity 50,000 TPA Days of operation in year 300) Therefore, per day production in MT-50000/300-167 MTD

No the number of days are considered as 393

(Total Excavated mineral Qty is 65611.41 MT) Therefore total No of days of violation =65611.41 MT/167MTD-393 Days

R-250/-

S =1.0

LF = 1 as it is #LF will be 1.0 in case unit is located >10 km from municipal boundary LF is presumed as I for city/town having population less than one million

Environmental Compensation = 80 * 393 * 250 * 1.0 * 1.0

= 78 ,60,000/-

In words: Seventy Eight Lakhs Sixty Thousand rupees

(d) **Alternatively** since during the period from 31.12.2014 to 23.02.2018 mining is done by the Project Proponent without having proper Environment Clearance(EC) in their name hence this whole period of 1151 days qualifies for the non Environment compensation (EC) may calculated as under

Environmental Compensation = 80 deg * 1151 * 250 deg * 1 deg * 1 compliance period. Hence

= 2,30,20,000/-

In words. Two Crores Thirty Lakhs Twenty Thousands rupees.

Based on above calculations competent authority (SEIAA) may take final decision.

प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) **अपील क्रमांक 09/2024 में पारित** आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा **मात्र वर्ष 2014 से 2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गए उत्खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (राशि रु 78,60,000/- अथवा 2,30,20,000/-)** अनुशंसित की गयी है।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर, कटनी से मेसर्स ए.सीसी सीमेन्ट लि. द्वारा वर्ष 2009 से 2014 में पर्यावरण अनुमति के बगैर किये गए उत्खनन का नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकलन किये जाने तथा 100 प्रतिशत पेनल्टी अधिरोपित किए जाने हेतु स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में माननीय एनजीटी (सीजेड) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किए जाने हेतु शासकीय अधिवक्ता से विधिक परामर्श भी प्राप्त किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार जिला कलेक्टर कटनी को प्रेषित पत्र क्र. 1983 दिनांक 30.01.2025 के संबंध में जानकारी अप्राप्त है एवं प्राधिकरण के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक परामर्श अनुसार जारी आदेश दिनांक से 90 दिन की समयावधि व्यतीत होने के कारण माननीय अधिकरण में अपील किया जाना संभव नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी (सीजेड) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा द्वारा मेसर्स एसीसी सीमेन्ट लि. कम्पनी पर वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गए उत्खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. **2,30,20,000/-** (रूपये दो करोड़ तीस लाख बीस हजार) का अर्थदण्ड (**Panalty**) अधिरोपित किया जाता है। तदानुसार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकरण के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही प्राधिकरण की 864वी बैठक दिनांक 20.01.2025 में लिये गये निर्णयानुसार मेसर्स ए. सीसी सीमेन्ट लि. द्वारा वर्ष 2009 से 2014 में पर्यावरण अनुमति के बगैर किये गए उत्खनन का नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकलन किये जाने तथा 100 प्रतिशत पेनल्टी अधिरोपित किए जाने हेतु कार्यवाही पृथक से की जावे एवं कलेक्टर जिला कटनी को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

SEIAA द्वारा River Valley/Irrigation परियोजनाओं हेतु अधिरोपित मानक शर्तें

परिशिष्ट–1

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.

iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated Ist May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (https://merilife.nic.in).

xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 936वी बैठक दिनांक 09.02.2026 का कार्यवाही विवरण

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –2

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
    a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
    b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
    c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वाराप्रकरणमेंजारीपर्यावरणस्वीकृतिमाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशानिर्देशों के अधीनमान्य रहेंगीतथामाननीय सर्वोच्चन्यायालय, माननीय उच्चन्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवंअन्य न्यायालयों द्वाराजारीसभीनिर्देशों/निर्णयोंकाअनुपालनपरियोजनाप्रस्तावक के लियेबाध्यकारीहोगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. For firefighting:-

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required .2016avilable onthe project site as per NBC fire fighting arrangement shoud be made

b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover aredesirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/

orhttp://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.